

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9650/2023

मंजू शर्मा पत्नी डॉ. सामिन कुमार शर्मा, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 101, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 5, पाम ब्लॉक रेडिएंट कासा, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड 5(2), जयपुर, आयकर कार्यालय, एनसीआर बिल्डिंग, स्टैच्यू सर्किल, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री गुंजन पाठक के साथ श्री कनिष्क सिंघल, सुश्री इशिता रावत और श्री आदित्य बोहरा
प्रतिवादी के लिए	:	श्री संदीप पाठक के साथ सुश्री जया पी. पाठक

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति श्री उमा शंकर व्यास

आदेशआरक्षित दिनांक:-

08/11/2024

घोषित दिनांक:-

14/11/2024

अवनीश झिंगन, (जे):-

- यह याचिका आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 148-ए के तहत निर्धारण वर्ष (संक्षेप में 'नि.व.') 2019-20 के लिए जारी दिनांक 31.03.2023

और 28.04.2023 के नोटिसों तथा अधिनियम की धारा 148-ए(डी) के तहत पारित दिनांक 28.04.2023 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि नि.व. 2019-20 के लिए, याचिकाकर्ता ने ₹14,05,181/- की सकल कुल आय दर्शाते हुए आयकर रिटर्न दाखिल किया था। रिटर्न को अधिनियम की धारा 143(1) के तहत संसाधित किया गया था। अधिनियम की धारा 148-ए(बी) के तहत दिनांक 31.03.2023 को नोटिस जारी किया गया था कि ₹1,19,98,518/- की कुल प्राप्ति होने के बावजूद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया था, प्राप्ति अस्पष्टीकृत हैं और कर का मूल्यांकन नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने 13.04.2023 को नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि रिटर्न 28.08.2019 को दाखिल किया गया था। इसके बाद 20.04.2023 को नोटिस जारी किया गया कि एआरसी समूह, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट और एंटी ऑपरेटरों पर की गई तलाशी के दौरान एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने संबंधित वर्ष के दौरान समायोजन प्रविष्टियाँ ली थीं। याचिकाकर्ता ने 26.04.2023 के जवाब में कहा कि असुरक्षित ऋण नि.व. 2019-20 में नहीं लिया गया था, बल्कि चुकाया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्तियों को दिनांक 28.04.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। अतः, यह वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनियम की धारा 148 ए(बी) के तहत जारी नोटिस अहस्ताक्षरित और प्रारंभ से शून्य हैं। दलील यह है कि दिनांक 28.04.2023 का नोटिस तीन साल बाद जारी नहीं किया जा सकता था क्योंकि कर का मूल्यांकन नहीं हुई आय पचास लाख से कम थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के उषा रानी गिरधर बनाम आयकर अधिकारी, (2023) 334 (दिल्ली) 596 में रिपोर्ट किए गए निर्णय और कैची प्रॉप-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (2022) 448 आईटीआर 671 (दिल्ली) के निर्णय पर भरोसा किया गया है। निवेदन है कि अधिनियम की धारा 148 के तहत कार्यवाही में व्यापक और अनर्गल पूछताछ नहीं की जा सकती है।

4. इसके विपरीत, रिट याचिका विचारणीय नहीं है। याचिकाकर्ता के पास धारा 148 के तहत कार्यवाही में दलीलें उठाने का उपाय है और उसके बाद अपील का उपाय उपलब्ध है। निवेदन है कि विभाग को विशिष्ट जानकारी प्राप्त हुई थी: (i) याचिकाकर्ता ने

संबंधित नि.व. 2019-20 में ₹1,19,98,518/- का लेनदेन किया था और (ii) एंट्री ऑपरेटर से नौ लाख रुपये का फर्जी ऋण की समायोजन प्रविष्टि प्राप्त की थी। निवेदन है कि करदाता के आयकर रिटर्न का ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध नहीं था और प्राप्त जानकारी के संबंध में जांच नहीं की जा सकी। धारा 148-ए के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया, कारणों के साथ प्रासंगिक सामग्री याचिकाकर्ता को प्रदान की गई और दायर जवाब पर विचार करने के बाद चुनौतीप्राप्त आदेश पारित किया गया।

5. मूल्यांकन को फिर से खोलने में विभाग द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग की जांच करने के लिए, अधिनियम की धारा 148 ए के तहत धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध नहीं था। विभाग के पास नि.व. 2019-20 के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा ₹1,19,98,518/- की प्राप्तियों और याचिकाकर्ता ने एंट्री ऑपरेटर से ₹9,00,000/- की प्रविष्टि ली थी, इसकी जानकारी थी। एआरसी समूह, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट और एंट्री ऑपरेटरों पर की गई तलाशी के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चला कि एआरसी समूह फर्जी असुरक्षित ऋणों की समायोजन प्रविष्टियाँ प्रदान करने में लिप्त था। ऋणों पर लगाया गया ब्याज नकद में वापस चुकाया गया था। समूह समायोजन प्रविष्टियाँ देने के लिए 10% से 15% कमीशन ले रहा था।

6. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाब में, असुरक्षित ऋण लेने के तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। यह रुख लिया गया है कि ऋण निर्धारण वर्ष 2019-20 के दौरान नहीं लिया गया था बल्कि चुकाया गया था।

7. पहली चुनौती का आधार कि नोटिस अहस्ताक्षरित हैं, दायर जवाब के मद्देनजर नहीं दबाया गया है कि नोटिस डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित थे।

8. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में व्यापक और अनर्गल पूछताछ नहीं की जा सकती है। वर्तमान मामले में, एआरसी समूह पर तलाशी के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारण अधिकारी के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने के कारण थे कि आय का मूल्यांकन नहीं हुआ है। कारणों की पर्याप्तता पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

9. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना व्यर्थ है। कैची प्रॉप-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, धारा 148-ए के तहत जारी नोटिस अस्पष्ट था और विभाग के अधिवक्ता ने पूरक नोटिस के लिए स्वतंत्रता मांगी थी। प्रारंभिक नोटिस में मूल आरोप के अभाव में, पूरक नोटिस द्वारा मुद्दे को शामिल करने की प्रार्थना खारिज कर दी गई थी। उषा रानी (उपरोक्त) के मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने यह महसूस करने के बावजूद कि नोटिस गलत तथ्यों पर जारी किया गया था, धारा 148 ए(डी) के तहत आदेश पारित किया था। धारा 148 ए के तहत नोटिस जारी करने का उद्देश्य, करदाता को आरोपों का जवाब देने का उचित अवसर प्रदान करना, विफल हो गया था।

10. जबकि, वर्तमान मामले में, करदाता द्वारा फर्जी समायोजन प्रविष्टियाँ प्राप्त करने के संबंध में जानकारी विभाग के पास थी। कारण और जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था, वह याचिकाकर्ता को प्रदान की गई थी, आरोपों का जवाब देने का अवसर दिया गया था और उसके बाद धारा 148 ए(डी) के तहत आदेश पारित किया गया था।

11. यह दलील कि दूसरा नोटिस दिनांक 20.04.2023 तीन साल से अधिक का होने के कारण समय-बाधित है क्योंकि मूल्यांकन नहीं हुई आय पचास लाख से कम है, प्रथम दृष्टया इस स्तर पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। यह कहना पर्याप्त होगा कि नोटिसों के अनुसार, ₹1,28,98,518/- की आय पर कर का मूल्यांकन नहीं हुआ था। अंततः जो अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी, उस पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

12. केवल असाधारण परिस्थितियों में ही रिट याचिका में हस्तक्षेप किया जाता है जहां कानून उपाय प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कमिश्नर बनाम छबीलाल अग्रवाल में रिपोर्ट किए गए निर्णय 2014 (1) SCC 603 का संदर्भ दिया गया है।

13. याचिकाकर्ता को धारा 148 के तहत कार्यवाही के दौरान सभी दलीलें उठाने का प्रभावी अवसर मिलेगा और यदि फिर भी व्यथित होता है, तो अपील का उपाय उपलब्ध है। अधिनियम की धारा 148 ए(डी) के तहत आदेश पारित होने के इस स्तर पर रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के लिए कोई असाधारण मामला नहीं बनता है।

14. याचिका खारिज की जाती है।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ रिट याचिका का निर्णय करने के सीमित उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा।

(उमा शंकर व्यास),जे

(अवनीश झिंगन),जे

क्या रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

बृजेश / 163

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

